



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE
 CHANGE**
 एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / **Integrated Regional
 Office, Chandigarh**



फाइल नम्बर: 9-HRB180/2021-CHA

दिनांक: 14.03.2022

सेवा में,

नोडल अफसर व् अ. प्रधान मुख्य वन संरक्षक
 कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
 C- 18, वन भवन, सेक्टर 6,
 पंचकुला हरियाणा।

विषय: Diversion of 0.4760 ha (instead of 0.8066 Ha) forest land for laying of 250mm/150mm/100mm DI pipe line for clear water from Basunda Booster to Daboda, Basunda Booster to Khandewla, Khandewla to Jatola, Fazilpur Badli Taznagar, faridpur to Dhani Ahiran via karola, Gugana to shekhpur Majri & farukh Nagar road to garhi Nathe khan in District- Gurugram.(online proposal no. FP/HR/WATER/144418/2021)

सन्दर्भ: i) प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र संख्या प्रशा डी तीन 10117/6700 दिनांक 23.02.2022.

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित संदर्भित पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 0.4760 ha वन भूमि की मांग की गई है। इस कार्यालय द्वारा 21.12.2021 को जारी पत्र के अनुपालन में आपके द्वारा 23.02.2022 को भेजी गई जानकारी अपूर्ण है।

2. प्रस्ताव से सम्बन्धित निम्नलिखित जानकारी भेजने का कष्ट करे:

- I. ऑनलाइन पोर्टल पार्ट-I के कॉलम संख्या- B-2.3, B-2.4 व C-b(1) में डायवर्जन एरिया 0.8066 ha के स्थान पर 0.4760 ha अपलोड किया जाए।
- II. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अधिकृत पत्र जो कि कॉलम संख्या- A-3(xvii) में अपलोड किया गया है, को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित करा कर डायवर्जन एरिया 0.8066 ha के स्थान पर 0.4760 ha के लिए अपलोड किया जाए।
- III. चूंकि 0.4760 ha डायवर्जन एरिया का सम्बंधित वन संरक्षक द्वारा 22.11.2021 को निरीक्षण किया गया है, अतः वन संरक्षक की जांच रिपोर्ट भी अपलोड की जाए।
- IV. डीएसएस की जांच रिपोर्ट के अनुसार डायवर्जन एरिया 0.4760 ha. के बजाय 0.75 ha. पाया गया है तथा प्रस्तावित सीए साईट का केएमएल फाइल के अनुसार एरिया 714 ha बनता है, जो कि प्रतिपूर्ति पौधारोपण के लिए प्रदान की गई वन भूमि 2.310 ha. से बहुत ज्यादा है व जिसकी डीएसएस पर भी जांच संभव नहीं है। अतः प्रोजेक्ट साईट व सीए साईट का संशोधित केएमएल फाइल व डीजिपिएस मैप भेजा जाए।

3. उपरोक्त जानकारी इस पत्र के जारी होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करे जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति के अभाव में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

भवदीय

हस्ता/-

(राजा राम सिंह)

उप-वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय)

IRO, MoEF&CC, Chandigarh

प्रतिलिपि:

1. The Divisional Forest Officer, Forest Division and District Gurugram, Haryana (dfo.ggn-hry@nic.in, dfo.gurgaon@yahoo.in).
2. Sudhir Ransiwla, Executive Engineer, PHED GURUGRAM. (phedgurgaon@gmail.com).

Signed by Raja Ram Singh

वेज नं. 24-25, सेक्टर - 31 ए, चंडीगढ़ -160030 / Bays No. 24-25, Sector-31, Chandigarh - 160030
 दूरभाष / Tel No : 0172 - 2638061 Fax No : 0172 - 2638135 Email Reason: Approved
 mef@nic.in